UPMT010053852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित :–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2354/2026
नवरत्न प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–515/2018, धारा–147,148,149,307,323,34, 332,353,506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना जमुनापार, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **नवरत्न** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डालना, लाठी–डंडा, चाकू, दराँती आदि से दूसरे पक्ष के सुरेन्द्र आदि के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाना, जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना, लोक व्यवस्था भंग करते हुए समाज में भय का माहौल व्याप्त करना आदि आक्षेपित है।

बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा गोपाल सिंह पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन/तर्क किए गए हैं कि उसको झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। घटना के पहले से अभियुक्त चन्द्राग्रीन शहर मथुरा में निजी आवास में रहता चला आता है। उसका प्रश्नगत मुकदमें में जो घटना दर्शित की गयी है, उससे कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का गांव की राजनीति से भी कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यह घटना महज गांव में प्रधानी के चुनाव की रंजिश का कारण है और आपसी वैमनष्यता के कारण प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर यह झूंठा फंसाने का प्रयत्न किया गया है। सह अभियुक्त देवेन्द्र पहलवान आदि की जमानत इसी न्यायालय द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं। उक्त मुकदमें में निष्पक्ष विवेचना नहीं हुई। उसका गोली चलाने इत्यादि का कोई रोल नहीं है। वह मौके पर मौजूद भी नहीं था। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इससे पूर्व किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उसको बिना किसी जानकारी के गिरफ्तार कर लिया गया है और वह जेल में है। वह हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यदि उसे लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। उक्त मुकदमें की कभी कोई तामील या सूचना उसके पते चन्द्रागीन मथुरा के पते पर कभी नहीं हुई। घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन कहानी को समर्थित नहीं करता है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। स्व० रामवीर के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसे झूंठा पाते हुए न्यायालय ने उसको बरी कर दिया गया। जेल में रहने के कारण अपराध संख्या आदि की जानकारी नहीं है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके जमानत के दुरूपयोग की कोई संभावना नहीं है। वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डालना, लाठी–डंडा, चाकू, दराँती आदि से दूसरे पक्ष के सुरेन्द्र आदि के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाना, जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना, लोक व्यवस्था भंग करते हुए समाज में भय का माहौल व्याप्त करना आदि आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त व

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.02 17:11:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अन्य सह–अभियुक्तगण ने दूसरे पक्ष के सुरेन्द्र सिंह आदि को जान से मारने की नीयत से उन पर प्रहार किए और जब पुलिस ने बचाने का प्रयास किया तो पुलिसदल पर भी जान से मारने की नीयत से प्रहार किए गए। अभियुक्त पक्ष द्वारा कारित की गई घटना में दूसरे पक्ष के पाँच व्यक्तियों सुरेन्द्र, हरस्वरूप, बलवीर, पूरन सिंह, देवस्वरूप के गम्भीर व प्राणघातक चोटें आईं, इनमें से सुरेन्द्र को गम्भीर हालत में एस०एन०मैडिकल कॉलेज, आगरा रैफर किया गया। अभियुक्त घटना के दिनांक से लगातार फरार था तथा अवर न्यायालय में उसके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० व 82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही जारी कर रखी थी। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के तर्क हैं कि उक्त मुकदमें की कभी कोई तामील या सूचना उसके पते चन्द्रागीन मथुरा के पते पर कभी नहीं हुई। आवेदक/अभियुक्त मौके से पकड़ा नहीं गया है। इस प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस द्वारा लिखाई गई है और किसी भी व्यक्ति के कोई गम्भीर या प्राणघातक चोट आनी नहीं बताई गई है।

इस प्रकरण में चुटैल बताए गए किसी व्यक्ति की कोई चोट प्राणघातक प्रकृति की हो या जमानत प्राप्त सह–अभियुक्तगण से आवेदक/अभियुक्त की कोई पृथक भूमिका हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त नवरत्न द्वारा मुवलिग 2,00,000/– (दो लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–02.07.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D. No. UP 1910

खेम सिंह, पी०एस०